



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940
No. 451] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

का.आ. 564(अ).—जबकि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (इसके बाद 'सिमी' के रूप में निर्दिष्ट) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और जिनमें देश की शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को छिन्न-भिन्न करने की शक्ति है;

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या क्रमशः (i) का. आ. 960 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 2001, (ii) का. आ. 1113 (अ), दिनांक 26 सितंबर, 2003, (iii) का. आ. 191 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 2006, (iv) का. आ. 276 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2008 (v) का. आ. 260 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2010 (vi) का. आ. 224(अ) दिनांक 3 फरवरी, 2012 तथा (vii) का.आ. 299 (अ) दिनांक 01 फरवरी, 2014 के तहत सिमी को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया;

और जबकि, यह निर्णय करने के प्रयोजनार्थ कि सिमी को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने का पर्याप्त कारण है या नहीं, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा-5 के अंतर्गत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण (इसके बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) का गठन किया गया था तथा इस न्यायाधिकरण ने अधिसूचना संख्या क्रमशः (i) का. आ. 397 (अ) दिनांक 08 अप्रैल, 2002 (ii) का. आ. 499 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2004 (iii) का. आ. 1302 (अ) दिनांक 11 अगस्त 2006 (iv) का. आ. 1990 (अ) दिनांक 12 अगस्त, 2010 (v) का. आ. 1745(अ) दिनांक 06 अगस्त 2012 तथा (vi) का. आ. 2050 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 2014 के तहत प्रकाशित अपने आदेशों के द्वारा की गई इस घोषणा की पुष्टि की है;

और जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिबंध की अवधि, 31 जनवरी, 2019 को समाप्त हो जाएगी;

और जबकि, केंद्रीय सरकार की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर यह राय है कि सिमी ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक है; नामतः-

- (1) अभियुक्त पठान तौसीफ खान उर्फ मो. अतीक, शहंशाह खान उर्फ साना खान, गुलाम सरवर खान तथा उनके अज्ञात सहयोगियों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य होने के नाते राजद्रोही गतिविधियों, आतंकियों को प्रश्रय देने में उनकी तथाकथित संलिप्तता और आतंक से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 216, 124क, 120ख एवं 34 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 18, 19, 20 एवं 38 के तहत सिविल लाइंस पुलिस थाना, गया, बिहार में मामला अपराध सं. 377/2017 पंजीकृत किया गया है;
- (2) अभियुक्त आलमजेब अफरीदी उर्फ आलमजेब खान उर्फ मोहम्मद रफीक उर्फ जावीद उर्फ जैद अफरीदी उर्फ आलमजेब खान उर्फ चिकना उर्फ जावेद को बंगलौर चर्च स्ट्रीट बम विस्फोट के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121क, 120ख, 153, 307 एवं 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4 एवं 5 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 15, 16, 18 एवं 20 के अंतर्गत कब्बन पार्क पुलिस थाना, बंगलौर, कर्नाटक में मामला अपराध सं. 309/2014 पंजीकृत किया गया है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने अपने हाथ में ले ली और 20.05.2015 को मामले को एनआईए मामला सं. आरसी 01/2015/एनआईए/हैदराबाद के तहत पुनः पंजीकृत किया;
- (3) अभियुक्त माजिद नागोरी तथा अन्य 17 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 153ख एवं 34 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के तहत एमपी नगर पुलिस थाना, भोपाल, मध्य प्रदेश में मामला अपराध सं. 424/2014 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अकील खिल्जी, खालिद अहमद तथा अब्दुल माजिद के न्यायिक हिरासत से फरार होने के बाद पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत ने शेष पन्द्रह अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख एवं 295ख के अंतर्गत सिद्धदोषी करार दिया है और प्रत्येक दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है;
- (4) अभियुक्त अबू फैजल और शराफत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 353, 506 एवं 34 के तहत गांधी नगर पुलिस थाना, भोपाल, मध्य प्रदेश में मामला अपराध सं. 100/2015 पंजीकृत किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत ने सुनवाई करने के बाद दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत सिद्धदोषी करार दिया है और प्रत्येक को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा तथा पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत प्रत्येक दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है;
- (5) अभियुक्त मो. आसिफ शायर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 124क के अंतर्गत मोघाट रोड पुलिस थाना, खंडवा, मध्य प्रदेश में मामला अपराध सं. 393/2016 पंजीकृत किया गया है;
- (6) अकील खिलजी एवं 07 अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 307, 302, 120ख, 224, 34 एवं 353 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16, 18 एवं 20 के अंतर्गत गांधी नगर पुलिस थाना, भोपाल, मध्य प्रदेश में मामला अपराध सं. 270/2016 पंजीकृत किया गया है। भोपाल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दिनांक 31.10.2016 को सभी अभियुक्तों को मार गिराया गया है;
- (7) अकील खिलजी एवं सात अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 147, 148, 149 एवं 332 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 एवं 27 एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10 एवं 13 के अंतर्गत गुंजा पुलिस थाना, भोपाल मध्य प्रदेश में मामला अपराध सं. 355/2016 पंजीकृत किया गया है। दिनांक 31.10.2016 को भोपाल में, पुलिस मुठभेड़ के दौरान सभी अभियुक्तों को मार गिराया गया है;
- (8) एक सिमी कार्यकर्ता को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत हवाई अड्डा पुलिस थाना, इंदौर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मामला अपराध सं. 479/2001 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर की अदालत द्वारा दो वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया;
- (9) एक सिमी कार्यकर्ता को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत खजराना पुलिस थाना, इंदौर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मामला अपराध सं. 304/2001 में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की इंदौर स्थित अदालत द्वारा दो वर्ष के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई;

- (10) एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 153क तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोतवाली पुलिस थाना, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मामला अपराध सं. 269/2001 में प्रथम श्रेणी अदालत, बुरहानपुर द्वारा दो वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई और पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया;
- (11) दो सिमी कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस थाना, सिहोर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मामला अपराध सं. 239/2008 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिहोर की अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153क और 153ख के तहत प्रत्येक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा तथा पांच हजार रुपए का जुर्माना और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 एवं 13 के अंतर्गत प्रत्येक को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा और पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उक्त मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 153क तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10 एवं 13 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया;
- (12) तीन सिमी कार्यकर्ताओं को, पीतमपुरा पुलिस थाना, धार, मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 122, 124क एवं 153क तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10 एवं 13 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के तहत पंजीकृत मामला अपराध सं. 120/2008 में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर द्वारा प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा ग्यारह सिमी कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गयी;
- (13) एक सिमी कार्यकर्ता को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10 एवं 13 के अंतर्गत एरोडूम पुलिस स्टेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 181/2008 में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, इंदौर द्वारा तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पाँच हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई;
- (14) तीन सिमी कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 295, 153ए, 124ए, 120बी, 212 एवं 34 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 18 एवं 20 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत कोतवाली पुलिस स्टेशन, खंडवा, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 14/2009 में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं 120बी के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। चार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि केस में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है;
- (15) एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 120बी के अंतर्गत जीवन भर के कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 18 के अंतर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1बी के खंड (ए) के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। एक अन्य सिमी कार्यकर्ता को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 15, 16ए, 18, 20, 38 एवं 39 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत कोतवाली पुलिस स्टेशन, खंडवा, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 728/2009 में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भोपाल द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 की उपधारा 1बी के खंड (ए) के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। चार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि केस में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है;
- (16) एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। एक अन्य सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 468 एवं 411 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13 एवं 18 के अंतर्गत

इटारसी पुलिस स्टेशन, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 72/2010 में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने और भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध मामला इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि तेलंगाना पुलिस के साथ पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई है;

- (17) दो सिमी कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397 एवं 120बी, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16, 17, 18 एवं 20 के अंतर्गत हनुमान गंज पुलिस स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 431/2010 में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 395 एवं 397 के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 17 के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। दो अभियुक्तों के विरुद्ध केस न्यायालय में विचारण के लिए लंबित है और चार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है;
- (18) तीन सिमी कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 195, 397 एवं 124, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13(1), 15, 16, 17, 20 एवं 21 और शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत पिपालिया मंडी पुलिस स्टेशन, मंदसौर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 149/2010 में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 395 एवं 397 के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। चार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि केस में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है;
- (19) पाँच सिमी कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 18 एवं 20 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत कोतवाली पुलिस स्टेशन, खंडवा, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 319/2011 में अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) के न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई;
- (20) एक सिमी कार्यकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 120बी, 212 एवं 216, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति की रोकथाम अधिनियम, 1984 (1984 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत कोतवाली पुलिस स्टेशन, खंडवा, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 542/2013 में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के अंतर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। एक अभियुक्त के विरुद्ध केस न्यायालय में विचारण के लिए लंबित है और चार अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है। दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए आरंभ नहीं किया गया है क्योंकि केस में उनके फरार होने की अवधि में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है;
- (21) पंद्रह सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 153बी एवं 34 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत एमपी नगर पुलिस स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश में पंजीकृत केस अपराध संख्या 424/2014 में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी एवं 295बी के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। तीन अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध केस इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि केस में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई है;
- (22) श्री स्वामी समर्थ स्लैक सेंटर, बुधवार पैठ, पुणे, महाराष्ट्र के सामने हुए धमाके के मामले में पाँच सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16 एवं 18 के साथ पठित विस्फोटक

- अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 3, 4 एवं 5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324, 427 एवं 120बी के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी दस्ते, महाराष्ट्र द्वारा केस अपराध संख्या 09/2014 पंजीकृत कर लिया गया है। पाँच अभियुक्तों में से, दो नालगोंडा, तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के साथ पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए और तीन को भोपाल सेंट्रल जेल से अवैध रूप से भागने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के साथ पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया।
- (23) आतंकवाद-रोधक दस्ते, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का 30) की धारा 3(1)(ii), 3(2) एवं 3(4) के साथ पठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10, 13, 16, 18 एवं 23 के साथ पठित, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 एवं 25 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908 का 6) की धारा 4 एवं 5 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 9-बी के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के अंतर्गत पंजीकृत एल. ए. सी. संख्या 03/2006 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण विशेष न्यायालय, आर्थर रोड, मुंबई द्वारा दो सिमी कार्यकर्ताओं को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गई और एक सिमी कार्यकर्ता को चौदह वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई;
- (24) आतंकवाद-रोधक दस्ते, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 12 (1)(सी) के साथ पठित रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 151, 152, 153 एवं 154 के साथ पठित सार्वजनिक संपत्ति को क्षति की रोकथाम अधिनियम, 1984 (1984 का 3) की धारा 3 एवं 4 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 एवं 9-बी के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326, 325, 324, 427, 436, 121ए, 123, 124ए, 120बी, 201 एवं 212 के साथ पठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 18, 19, 20 एवं 40 के साथ पठित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के उपखंड (1) के खंड (i), धारा 3 के उपखंड (2), धारा 3 के उपखंड (4) एवं धारा 3 के उपखंड (5) के अंतर्गत पंजीकृत मामला अपराध संख्या 05/2006 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण विशेष न्यायालय, बृहन मुंबई द्वारा तीन सिमी कार्यकर्ताओं को मृत्युदंड और छह सिमी कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई;
- (25) आतंकवाद-रोधक दस्ते, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 एवं 13 के अंतर्गत दर्ज एल.ए.सी. संख्या 04/2006 में अपर प्रधान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सेवरी न्यायालय द्वारा एक सिमी कार्यकर्ता को सात वर्ष के सश्रम कारावास और तीस हजार रुपए के जुर्माने के लिए अपराधी ठहराया गया। इस मामले में कुछ अन्य सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए और इसके लिए विचारण लंबित है;
- (26) आतंकवाद-रोधक दस्ते, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 18, 20 एवं 21 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4 एवं 5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 153ए, 302, 307, 326, 325, 324, 427, 467, 468, 471, 474, 109 एवं 34 के अंतर्गत पंजीकृत मामला अपराध संख्या 06/2010 में विशेष सत्र न्यायालय, शिवाजी नगर द्वारा एक सिमी कार्यकर्ता को अपराधी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई।
- (27) आतंकवाद-रोधक दस्ते, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 17 एवं 18बी के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 489बी, 489सी एवं 489ई के अंतर्गत पंजीकृत अपराध मामला संख्या 31/2011 में अपर प्रमुख मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट, मझगाँव, मुंबई द्वारा दो सिमी कार्यकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 489सी के अंतर्गत अपराधी ठहराया गया और प्रत्येक को छह वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
- (28) मैकडोनाल्ड होटल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मोंघीबाई मार्केट विलेपार्ले और कल्याण लोकल ट्रेन नामक स्थानों में तीन बम विस्फोटों का कृत्य करने, जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने और व्यापक रूप से जनता में आतंक फैलाने के आशय से किसी आतंकवादी कृत्य की तैयारी करने का कृत्य था, के कारण आतंकवाद निवारण कानून, 2002, भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, विस्फोटक अधिनियम, 1884, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति का निवारण अधिनियम, 1984 और रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों के लिए डी.सी.बी.सी.आई.डी. यूनित-6, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा

- सी.आर.संख्या 21/2003 और सी.आर.संख्या 59/2003 के रूप में दर्ज आतंकवाद निवारण अधिनियम विशेष मामला संख्या 02/2003 के अंतर्गत ग्रेटर मुंबई, महाराष्ट्र में आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 2) के अंतर्गत निर्धारित विशेष न्यायाधीश न्यायालय द्वारा दो सिमी कार्यकर्ताओं को कानून की विभिन्न धाराओं में अपराधी ठहराया गया और सश्रम कारावास और/या आजीवन कारावास और/या जुर्मनी की सजा सुनाई गई;
- (29) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 और विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 18 एवं 20 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 120बी, 121, 121ए, 122, 307, 467, 471 एवं 149 के अंतर्गत एक आतंकवादी की माँ सहित चार कट्टर सिमी आतंकवादियों के विरुद्ध प्लांट साइट पुलिस स्टेशन, राउरकेला, ओडिशा में दिनांक 17.02.2016 का मामला अपराध संख्या 38 दर्ज किया गया है जिनके नाम ये हैं : (1) एस.के.महबूब उर्फ गुड्डू उर्फ आफताब; (2) मोहम्मद अमजद खान उर्फ पप्पू उर्फ दाउद उर्फ उमर उर्फ गोपाल सिंह; (3) ज़ाकिर हुसैन उर्फ सादिक उर्फ विक्री डॉन उर्फ विनय कुमार उर्फ आनंद जोशी उर्फ इम्तियाज़; (4) मोहम्मद सालिक उर्फ सल्लू उर्फ युनूस उर्फ संजय; और (5) नजमा बी. (एस.के. महबूब की माँ), इन्हें कुरैशी मोहल्ला, नाला रोड, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़ से 16/17.02.2016 की रात को गिरफ्तार किया गया। जाँच-पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि उपर्युक्त चार आतंकवादी सिमी के सक्रिय सदस्य थे जो प्रतिबंधित संगठन हैं और भोपाल (मध्य प्रदेश) में जेल तोड़ने के बाद 30/31.10.2016 को भोपाल में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई;
- (30) चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 9 में ट्रेन नंबर 12509 (बंगलौर-गुवाहाटी एक्सप्रेस) में हुए दो आई.ई.डी. धमाकों के मामले में रेलवे अधिनियम, 1989 (पूर्व में चेन्नई रेलवे पुलिस अपराध संख्या 273/2014) की धारा 151 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4 एवं 5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 307 एवं 302 के अंतर्गत एस.बी.सी.आई.डी. मेट्रो पुलिस, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा मामला अपराध संख्या 02/2014 दर्ज किया गया है। जाँच-पड़ताल के दौरान, सिमी के तीन पूर्व कार्यकर्ताओं की संलिप्तता सिद्ध हुई है। सिमी के ये सभी पूर्व कार्यकर्ता दो अलग मुठभेड़ों में मार गिराए गए हैं;
- (31) सांप्रदायिक असद्भाव उत्पन्न करने के लिए कोयम्बटूर में हिंदू संगठन के नेताओं की हत्या करने के इरादे से साज़िश करने के लिए सिमी के कुछ पूर्व कार्यकर्ताओं सहित दस अभियुक्तों के विरुद्ध डी2 सेलवापुरम पुलिस स्टेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 153ए एवं 505(1) के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 432/2014 दर्ज किया गया है;
- (32) महबूब नगर, तेलंगाना में मोटर साइकिल की चोरी के लिए महबूब नगर-II पुलिस स्टेशन, महबूब नगर, तेलंगाना द्वारा छह सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 30/2014 दर्ज किया गया है। इन छह अभियुक्तों में से, तीन की 30.10.2016 को भोपाल में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई;
- (33) देवारा कोंडा, नालगोंडा, तेलंगाना में मोटरसाइकिल की चोरी के लिए देवारा कोंडा पुलिस स्टेशन, नालगोंडा, तेलंगाना द्वारा छह सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 10/2014 दर्ज किया गया है। इन छह अभियुक्तों में से, तीन की 30.10.2016 को भोपाल में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई;
- (34) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चोप्पा डंडी, करीम नगर, तेलंगाना से छयालीस लाख रुपए की डकैती के संबंध में चोप्पाडंडी पुलिस स्टेशन, करीमनगर, तेलंगाना द्वारा छह सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 395, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) एवं धारा 27, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 17, 18 एवं 20 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 16/2014 दर्ज किया गया है। इन छह अभियुक्तों में से, तीन की 30.10.2016 को भोपाल में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई;
- (35) सूर्यपिट टी.एन. पुलिस स्टेशन, नालगोंडा, तेलंगाना द्वारा उन दो सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 394 एवं 34, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 120/2015 दर्ज किया गया है जिन्होंने पुलिस टीम द्वारा 01/02.04.2015 को नालगोंडा जिले में सूर्यपिट हाई-टेक बस स्टॉप में संदिग्ध यात्रियों की तलाशी लेते समय पुलिस टीम पर गोली चलाई और दो पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी और सर्कल इंस्पेक्टर तथा होमगार्ड को घायल कर दिया।

- आरोपियों ने पुलिस टीम से एक 9 एम.एम. कार्बाइन हथियार छीन ली और भाग गए। इन अभियुक्तों की जानकीपुरम, नालगोंडा, तेलंगाना में 04.04.2015 को पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई;
- (36) मोथकुर पुलिस स्टेशन, नालगोंडा, तेलंगाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 एवं 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 34/2015 दर्ज किया गया है। मामले के तथ्य यह हैं कि 04.04.2015 को सुबह के समय, पुलिस टीम जानकीपुरम, नालगोंडा जा रही थी, इसी बीच दो आक्रमणकारी विपरीत दिशा से आए, और पुलिस और आक्रमणकारियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप रामन्नापेट पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर और आत्माकुर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर को चोट लगने के अतिरिक्त आक्रमणकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराध स्थल से दो देसी छोटे हथियार और 9 एम.एम. की एक कार्बाइन ज़ब्त कर ली जिसे सूर्या पेट, नालगोंडा में मारे गए पुलिस कर्मियों से चुराया गया था। मृत आक्रमणकारियों की पहचान सिमी काडर के कार्यकर्ताओं के रूप में की गई;
- (37) अरवापल्ली पुलिस स्टेशन, तेलंगाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 22/2015 दर्ज किया गया है। मामले के तथ्य ये हैं कि जब शिकायतकर्ता अपनी बाइक पर जा रहा था और अरवापल्ली गाँव केंद्र में पहुँचा, जहाँ दो अभियुक्तों ने उसे रोका और उसके पेट और सिर पर बंदूक तान दी और ज़बरदस्ती उसकी बाइक ले ली और वे थिरुमालागिरी की ओर तेज़ गति से भाग गए। दो आक्रमणकारियों की बाद में मृत्यु हो गई और उनकी पहचान सिमी काडर के कार्यकर्ताओं के रूप में की गई;
- (38) अरवापल्ली पुलिस स्टेशन, तेलंगाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 की उपधारा(1) के खंड (ए) के अंतर्गत मामला अपराध संख्या सं. 23/2015 दर्ज किया गया है। मामले के तथ्य ये हैं कि शिकायतकर्ता ने कहा कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर उसने अपने स्टाफ के साथ सीतारामपुरम में श्री राम सागर प्रोजेक्ट नहर के पुल को पार किया जहाँ उन्हें दो व्यक्ति भागते हुए मिले। रुकने के लिए कहने पर, उन्होंने हथियारों से गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया और इसके उत्तर में शिकायतकर्ता ने भी अपनी सर्विस पिस्टल से उन पर गोलियाँ चलाई लेकिन अभियुक्त भाग गए। दो आक्रमणकारियों की बाद में मृत्यु हो गई और उनकी पहचान सिमी काडर के कार्यकर्ताओं के रूप में की गई;
- (39) गोपालपुरम पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121ए, 153ए एवं 120बी और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 338/2014 दर्ज किया गया है। मामले के तथ्य ये हैं कि हैदराबाद पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर दो अभियुक्तों (दोनों महाराष्ट्र राज्य के निवासी) को गिरफ्तार कर लिया। वे अलकायदा की भारतीय शाखा की सहायता हेतु हाल ही में बनी 'इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलोजी ग्रुप/सिमी' के सदस्य थे। यह पता चला है कि वे अलकायदा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान जाने हेतु हैदराबाद आए थे।
- (40) केस अपराध संख्या 882/2004 में तीन सिमी सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 324 एवं 332 के तहत दोषी पाया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307, 332, 224, 427 एवं 149 के तहत सैफाबाद पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा दर्ज किया गया था। मामले के तथ्य ये हैं कि 31 अक्टूबर, 2004 को, मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन पुलिस महानिदेशक कार्यालय में अपराध जांच विभाग नियंत्रण कक्ष, हैदराबाद में उपस्थित हुए और जबकि डा. नरेन्द्र कुमार अमीन, सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध जांच विभाग, अहमदाबाद ने कार्यालय छोड़ते समय उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट निष्पादित किया। उस समय, आरोपी ने महबूब अली, अध्यक्ष, दरसगाह-ए-जिहाद-ओ-शहादत (डीजेएस) की अगुवाई में पुलिस पर हमला किया, उनको बुरी तरह मारा-पीटा और नसीरुद्दीन को ले गया। सहायक पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद ने गोलियाँ चलाई और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में, सिमी आरोपी सिमी नेताओं को CDs पहुंचाने के लिए जिम्मेवार थे जोकि इसी अपराध के लिए महाकाल पुलिस स्टेशन, उज्जैन, मध्य प्रदेश के केस अपराध संख्या 162/1998 से भी जुड़े हुए थे।
- (41) केस अपराध संख्या 964/2014, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में किराये पर लिए गए एक कमरे में हुए आई.ई.डी. विस्फोट के संबंध में 11 सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए, 122, 216 एवं 120बी के तहत दर्ज किया गया है। ग्यारह आरोपित व्यक्तियों में से, दो दिनांक 04.04.2015 को तेलंगाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए और चार को मध्य प्रदेश पुलिस के साथ दिनांक 31.10.2016 को मुठभेड़ में मार गिराया गया;

- (42) केस अपराध संख्या 965/2014, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में किराये पर लिए गए एक कमरे में हुए आई.ई.डी. विस्फोट के संबंध में 11 आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 18, 23, 21, 38, 39 एवं 40 के तहत दर्ज किया गया है। आगे की जांच के लिए मामले को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को अंतरित कर दिया गया था। मामले में यह पाया गया कि घटना में एक सिमी मॉडयूल शामिल था। ग्यारह आरोपित व्यक्तियों में से, दो दिनांक 04.04.2015 को तेलंगाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए और चार को मध्य प्रदेश पुलिस के साथ दिनांक 31.10.2016 को मुठभेड़ में मार गिराया गया;
- (43) केस अपराध संख्या 966/2014, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में किराये पर लिए गए एक कमरे में हुए आई.ई.डी. विस्फोट के संबंध में 11 सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया है। ग्यारह आरोपित व्यक्तियों में से, दो दिनांक 04.04.2015 को तेलंगाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए और चार को मध्य प्रदेश पुलिस के साथ दिनांक 31.10.2016 को मुठभेड़ में मार गिराया गया;
- (44) केस अपराध संख्या 967/2014, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में किराये पर लिए गए एक कमरे में हुए आई.ई.डी. विस्फोट के संबंध में 11 सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 4/25 के तहत दर्ज किया गया है। ग्यारह आरोपित व्यक्तियों में से, दो दिनांक 04.04.2015 को तेलंगाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए और चार को मध्य प्रदेश पुलिस के साथ दिनांक 31.10.2016 को मुठभेड़ में मार गिराया गया;
- (45) केस अपराध संख्या 968/2014, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में किराये पर लिए गए एक कमरे में हुए आई.ई.डी. विस्फोट के संबंध में 11 सिमी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 एवं 5 के तहत दर्ज किया गया है। ग्यारह आरोपित व्यक्तियों में से, दो दिनांक 04.04.2015 को तेलंगाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए और चार को मध्य प्रदेश पुलिस के साथ दिनांक 31.10.2016 को मुठभेड़ में मार गिराया गया;
- (46) केस अपराध संख्या 974/2014, बिजनौर विस्फोट मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए, 122 एवं 120बी के तहत दर्ज किया गया है। बाद में, यह मामला, केस अपराध संख्या 964/2014 के साथ मिला दिया गया था;
- (47) केस अपराध संख्या 975/2014, बिजनौर विस्फोट मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 एवं 5 के तहत दर्ज किया गया है। यह मामला विचारण न्यायालय में लंबित है;
- (48) केस अपराध संख्या 976/2014, बिजनौर विस्फोट मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 18 एवं 23 के तहत दर्ज किया गया है। यह मामला विचारण न्यायालय में लंबित है;
- (49) केस अपराध संख्या 977/2014, बिजनौर विस्फोट मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए, 122, 216 एवं 120बी के तहत दर्ज किया गया है। बाद में, यह मामला, केस अपराध संख्या 964/2014 के साथ मिला दिया गया था;
- (50) केस अपराध संख्या 978/2014, बिजनौर विस्फोट मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 एवं 5 के तहत दर्ज किया गया है। यह मामला विचारण न्यायालय में लंबित है;
- (51) केस अपराध संख्या 979/2014, बिजनौर विस्फोट मामले के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 18 एवं 23 के तहत दर्ज किया गया है। यह मामला विचारण न्यायालय में लंबित है;
- (52) केस अपराध संख्या 50/2014, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में भगौड़े सिमी सदस्यों के कथित छुपने के अड्डे में दिनांक 12.09.2014 को दुर्घटनावश हुए विस्फोट के बाद स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन, दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता

की धारा 120बी और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 18 एवं 20 के तहत दर्ज किया गया है;

- (53) केस अपराध संख्या आरसी-01/2015/एनआईए-डीएलआई, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में आई.ई.डी. विस्फोट के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए एवं 122, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 एवं 5 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13, 18 एवं 23 के तहत 11 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है;
- (54) केस अपराध संख्या आरसी-10/2015/एनआईए-डीएलआई, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में आई.ई.डी. विस्फोट के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए एवं 122, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 एवं 5 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13, 18 एवं 23 के तहत एक आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया है।
- (55) मामला अपराध संख्या आरसी-11/2015/एनआईए-डीएलआई, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में आई.ई.डी. विस्फोट के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए एवं 122, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 एवं 5 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13, 18 एवं 23 के तहत दो आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है;
- (56) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी एवं 124ए तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 एवं धारा 13 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) के तहत दर्ज केस अपराध सं. आरसी-03/2010/एनआईए-डीएलआई, में स्पेशल एनआईए कोर्ट अर्णाकुलम, केरल द्वारा दो सिमी कार्यकर्ताओं को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 एवं धारा 13 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी एवं 124ए के तहत दोषसिद्ध ठहराया गया; दो सिमी कार्यकर्ताओं को सात वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया तथा उन पर साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और दो सिमी कार्यकर्ताओं को पांच वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया तथा उन पर पचपन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया;
- (57) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 एवं 27 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 122, 124ए एवं 153ए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3, 5, 10 एवं 13 के तहत दर्ज केस अपराध सं. आरसी-04/2010/एनआईए-डीएलआई, में स्पेशल एन.आई.ए. कोर्ट अर्णाकुलम, केरल द्वारा अठारह सिमी कार्यकर्ताओं को दोषसिद्ध ठहराया गया और प्रत्येक आरोपी को जुर्माने के साथ सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई;
- (58) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 324, 307, 427 एवं 452, भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 (1908 का 14) की धारा 17, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 एवं 4 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18, 20 एवं 23 के तहत दर्ज केस अपराध सं. आरसी-07/2013/एनआईए-डीएलआई, आरसी-08/2013/एनआईए-डीएलआई और आरसी-09/2013/एनआईए-डीएलआई, में स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कोर्ट, पटना, बिहार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित 153ए के तहत दो सिमी कार्यकर्ताओं को दोषसिद्ध ठहराया गया तथा तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18, 20 एवं 23 के तहत चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया; भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित धारा 153ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 120बी के तहत भी दो सिमी कार्यकर्ताओं को दोषसिद्ध ठहराया गया और तीन वर्ष तथा दस वर्ष के कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई; इसके साथ ही उन्हें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18, 20 एवं 23 के तहत आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया गया; भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित धारा 153ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी एवं 307 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत एक सिमी कार्यकर्ता को दोषसिद्ध ठहराया गया और उसे तीन वर्ष, दस वर्ष एवं चौदह वर्ष कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, साथ ही उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18, 20 एवं 23 के तहत आजीवन कारावास और चालीस हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। इस मामले में एक किशोर आरोपी को भी तीन वर्ष की सजा सुनाई गई।

और जबकि केन्द्रीय सरकार इसके आगे यह मत रखती है कि यदि सिमी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को तत्काल नहीं रोका गया और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह -

- (i) अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियां जारी रखकर तथा अपने भगौड़े कार्यकर्ताओं को पुनः संगठित कर;
- (ii) साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर लोगों के मस्तिष्क को प्रदूषित करके देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को क्षति पहुंचाकर;
- (iii) राष्ट्र-द्रोही भावनाएं प्रसारित कर;
- (iv) उग्रवाद का सहयोग करके अलगाववाद को बढ़ावा देकर; तथा
- (v) देश की अखण्डता तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देकर, इस अवसर का फायदा उठाएगा;

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि सिमी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, सिमी को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को "विधिविरुद्ध संगठन" घोषित करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी किसी भी आदेश के अध्याधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

[फा. सं. 14017/3/2018-एन.आई.-III]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

S.O. 564(E).—Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the **SIMI**) has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the SIMI as an unlawful association, *vide*, notification numbers, (i) S.O. 960 (E), dated the 27th September, 2001, (ii) S.O. 1113 (E), dated the 26th September, 2003, (iii) S.O. 191 (E), dated the 8th February, 2006, (iv) S.O. 276(E), dated the 7th February, 2008, (v) S.O. 260 (E), dated the 5th February, 2010, (vi) S.O. 224 (E), dated the 3rd February, 2012 and (vii) S.O. 299(E), dated the 1st February, 2014, respectively;

And whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal) was constituted under section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as an unlawful association and the Tribunal by its orders published, *vide*, notification numbers, (i) S.O. 397 (E), dated the 8th April, 2002, (ii) S.O. 499 (E), dated the 16th April, 2004, (iii) S.O. 1302 (E), dated the 11th August, 2006, (iv) S.O. 1990 (E), dated the 12th August, 2010, (v) S.O. 1745 (E), dated the 6th August, 2012 and (vi) S.O. 2050(E), dated the 12th August, 2014, respectively, has confirmed the declaration so made;

And whereas, the duration of ban under sub-section (1) of section 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 shall cease on the 31st day of January, 2019;

And whereas, the Central Government is of the opinion that SIMI is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country on the basis, *inter alia*, of the following grounds, namely:—

- (1) Case Crime No. 377/2017 has been registered at Civil Lines Police Station, Gaya, Bihar under sections 216, 124A, 120B and 34 of the Indian Penal Code and under sections 13, 16, 18, 19, 20

and 38 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against the accused Pathan Tauseef Khan *alias* Mohd. Atiq, Shahanshah Khan *alias* Sanna Khan, Gulam Sarvar Khan and their unknown associates for their alleged involvement into seditious activities, harboring terrorist, being the member of proscribed terrorist organisation and getting involved into terror related activities;

- (2) Case Crime No. 309/2014 has been registered at Cubbon Park Police Station, Bengaluru, Karnataka under sections 121, 121A, 120B, 153, 307 and 302 of the Indian Penal Code and sections 3, 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 and sections 3, 10, 15, 16, 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against the accused Alamjeb Afridi *alias* Alamjeb Khan *alias* Mohammed Rafiq *alias* Jaweed *alias* Jaid Afridi *alias* Alamzeb Khan *alias* Chikna *alias* Javed in the matter of Bangalore Church Street Blast. This case was taken over by National Investigation Agency and re-registered the case as National Investigation Agency Case No. RC 01/2015/NIA/Hyd. on 20.05.2015;
- (3) Case Crime No. 424/2014 has been registered at MP Nagar Police Station, Bhopal, Madhya Pradesh under sections 295, 153B and 34 of the Indian Penal Code and section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against the accused Majid Nagori and seventeen others. Accused Akil Khilji, Khalid Ahmed and Abdul Majid had shot dead in police encounter after absconding from judicial custody. After hearing, the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal has convicted the rest of the fifteen accused under sections 153B and 295B of the Indian Penal Code for three years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand for each accused person;
- (4) Case Crime No. 100/2015 has been registered at Gandhi Nagar Police Station, Bhopal, Madhya Pradesh under sections 294, 353, 506 and 34 of the Indian Penal Code against the accused Abu Faizal and Sharafat. After hearing, the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal has convicted both the accused under section 353 of the Indian Penal Code for two years rigorous imprisonment and fine of rupees five hundred each and convicted under section 506 of the Indian Penal Code for three years rigorous imprisonment and fine of rupees five hundred for each accused person;
- (5) Case Crime No. 393/2016 has been registered at Moghat Road Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under section 124A of the Indian Penal Code against the accused Mohd. Aasif Shayar;
- (6) Case Crime No. 270/2016 has been registered at Gandhi Nagar Police Station, Bhopal, Madhya Pradesh under sections 342, 307, 302, 120B, 224, 34 and 353 of the Indian Penal Code and sections 3, 10, 13, 16, 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Akeel Khilji and seven others. All the accused have been shot dead in police encounter in Bhopal on 31.10.2016;
- (7) Case Crime No. 355/2016 has been registered at Gunja Police Station, Bhopal, Madhya Pradesh under sections 307, 147, 148, 149 and 332 of the Indian Penal Code and sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) and sections 3, 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Akeel Khilji and seven others. All the accused have been shot dead in police encounter in Bhopal on 31.10.2016;
- (8) One SIMI activist was sentenced to two years rigorous imprisonment and a fine of rupees one thousand by the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Indore in Case Crime No. 479/2001, registered at Aerodrome Police Station, Indore, Madhya Pradesh under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (9) One SIMI activist was sentenced to two years simple imprisonment by the Court of Judicial Magistrate of first class, Indore in Case Crime No. 304/2001, registered at Khajrana Police Station, Indore, Madhya Pradesh under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (10) One SIMI activist was sentenced to two years imprisonment and a fine of rupees five hundred by the First Class Court, Burhanpur in Case Crime No. 269/2001, registered at Kotwali Police Station, Burhanpur, Madhya Pradesh under section 153A of the Indian Penal Code and sub-section (1) of section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (11) Two SIMI activists were sentenced to one year rigorous imprisonment and a fine of rupees five hundred each under sections 153A and 153B of the Indian Penal Code and two year rigorous imprisonment and a fine of rupees five hundred each under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Court of Chief Judicial Magistrate, Sihor in Case Crime

- No. 239/2008, registered at Kotwali Police Station, Sihor, Madhya Pradesh under section 153A of the Indian Penal Code and sections 3, 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (12) Three SIMI activists were sentenced to five years rigorous imprisonment each and eleven SIMI activists were sentenced to life imprisonment by Fourth Additional District and Sessions Judge, Indore in Case Crime No. 120/2008, registered at Pithampur Police Station, Dhar, Madhya Pradesh under sections 122, 124A and 153A of the Indian Penal Code and sections 3, 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959 and sections 3, 4, 5 and 6 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
- (13) One SIMI activist was sentenced to three years rigorous imprisonment and a fine of rupees five hundred by the Court of Judicial Magistrate of first class, Indore in Case Crime No. 181/2008, registered at Aerodrome Police Station, Indore, Madhya Pradesh under sections 3, 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (14) Three SIMI activist were sentenced to life imprisonment each and a fine of rupees one thousand each under sections 307 and 120B of the Indian Penal Code by the Court of Special Judge, National Investigation Agency, Bhopal in Case Crime No. 14/2009, registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 307, 295, 153A, 124A, 120B, 212 and 34 of the Indian Penal Code and sections 3, 10, 13, 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959. Case against four other accused has been dropped due to their death in police encounter in the case;
- (15) One SIMI activist was sentenced to life imprisonment and fine of rupees one thousand under sections 302 and 120B of the Indian Penal Code, life imprisonment and fine of rupees one thousand under clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, ten years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, seven years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 27 of the Arms Act, 1959, three years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under clause (a) of sub-section 1B of section 25 of the Arms Act, 1959. Another SIMI activist was sentenced to three years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under clause (a) of sub-section 1B of section 25 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) by the Court of Special Judge, National Investigation Agency, Bhopal in Case Crime No. 728/2009, registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 302, 120B and 34 of the Indian Penal Code, sections 3, 10, 13, 15, 16A, 18, 20, 38 and 39 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959. Case against four other accused has been dropped due to their death in police encounter in the case;
- (16) One SIMI activist was sentenced to three years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 379 of the Indian Penal Code, seven years rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 468 of the Indian Penal Code. One another SIMI activist was sentenced to three years of rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 411 of the Indian Penal Code, seven years of rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand under section 468 of the Indian Penal Code by the Court of Special Judge, National Investigation Agency, Bhopal in Case Crime No. 72/2010, registered at Itarsi Police Station, Hoshangabad, Madhya Pradesh under sections 379, 468 and 411 of the Indian Penal Code and sections 3, 10, 13 and 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Case against one another accused has been dropped due to his death in police encounter by Telangana Police;
- (17) Two SIMI activists were sentenced to life imprisonment for each and fine of rupees one thousand each under sections 395 and 397 of the Indian Penal code, life imprisonment for each and fine of rupees one thousand each under section 120B of the Indian Penal Code, two years of rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand each under clause (a) of sub-section (1) of section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, life imprisonment and fine of rupees one thousand each under section 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Court of Special Judge, National Investigation Agency, Bhopal in Case Crime No. 431/2010, registered at Hanuman Ganj Police Station, Bhopal, Madhya Pradesh under sections 395, 397 and 120B of the Indian Penal Code, sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959, sections 3, 10, 13, 16, 17, 18 and 20

- of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Case against two accused is pending trial in the court and against four other accused has been dropped due to their death in police encounter;
- (18) Three SIMI activists were sentenced to life imprisonment and fine of rupees one thousand each under sections 395 and 397 of the Indian Penal Code by the Court of Special Judge, National Investigation Agency, Bhopal in Case Crime No. 149/2010, registered at Pipaliya Mandi Police Station, Mandsaur, Madhya Pradesh under sections 195, 397 and 124 of the Indian Penal Code, sections 3, 10, 13(1), 15, 16, 17, 20 and 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959. Case against four other accused has been dropped due to their death in police encounter in the case;
- (19) Five SIMI activists were sentenced to three years of imprisonment and fine of rupees two thousand each under 25-1(B) of the Arms Act, 1959 by the Court of Additional Sessions Judge (Second), Khandwa in Case Crime No. 319/2011, registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under section 153A of the Indian Penal Code, sections 3, 10, 13, 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959;
- (20) One SIMI activist was sentenced to two years of rigorous imprisonment under section 224 of the Indian Penal Code by the Court of Special Judge, National Investigation Agency, Bhopal in Case Crime No. 542/2013, registered at Kotwali Police Station, Khandwa, Madhya Pradesh under sections 224, 120B, 212 and 216 of the Indian Penal Code, sections 3, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and section 3 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984). Case against one accused is pending trial in the court and against four accused has been dropped due to their death in police encounter. Case against two other accused has not started due to their death in police encounter in their absconding period in the case;
- (21) Fifteen SIMI activists were sentenced to three years of rigorous imprisonment and fine of rupees one thousand each under sections 153B and 295B of the Indian Penal Code by the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal in Case Crime No. 424/2014, registered at MP Nagar Police Station, Bhopal, Madhya Pradesh under sections 295, 153B and 34 of the Indian Penal Code and section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Case against three other accused has been dropped due to their death in police encounter in the case;
- (22) Case Crime No. 09/2014 has been registered by Anti Terrorism Squad, Mumbai, Maharashtra under sections 307, 324, 427 and 120B of the Indian Penal Code read with sections 3, 4 and 5 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) read with sections 16 and 18 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against five SIMI activists, in the matter of blast occurred opposite to Shree Swami Samarth Snack Centre, Budhwar Peth, Pune, Maharashtra. Out of five accused, two were shot dead in police encounter with Telangana Police at Nalgonda, Telangana and three were shot dead in Police Encounter with Madhya Pradesh Police, after illegally escaping from the Bhopal Central Jail;
- (23) Two SIMI activists were sentenced to rigorous imprisonment for life and one SIMI activist was sentenced to fourteen years of rigorous imprisonment by the Maharashtra Control of Organised Crime Special Court, Arthur Road, Mumbai in L.A.C. No. 03/2006, registered by Anti Terrorism Squad, Mumbai, Maharashtra under section 120B of the Indian Penal Code read with sections 5, 6 and 9-B of the Explosives Act, 1884 read with sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908) read with sections 3 and 25 of the Arms Act, 1959 read with sections 10, 13, 16, 18 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 read with section 3(1)(ii), 3(2) and 3(4) of Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (30 of 1999);
- (24) Three SIMI activists were sentenced to death and six SIMI activists were sentenced to life imprisonment by the Maharashtra Control of Organised Crime Special Court, Brihan Mumbai in Case Crime No. 05/2006, registered by Anti Terrorism Squad, Mumbai, Maharashtra under clause (i) of sub-section (1) of section 3, sub-section(2) of section (3), sub-section (4) of section 3 and sub-section (5) of section 3 of the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 read with sections 10, 13, 16, 18, 19, 20 and 40 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 read with sections 302, 307, 326, 325, 324, 427, 436, 121A, 123, 124A, 120B, 201 and 212 of the Indian

- Penal Code read with sections 6 and 9-B of the Explosives Act, 1884 read with sections 3, 4, 5 and 6 of the Explosive Substances Act, 1908 read with sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984) read with sections 151, 152, 153 and 154 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with section 12(1)(c) of the Passports Act, 1967 (15 of 1967);
- (25) One SIMI activist was convicted for seven years of rigorous imprisonment and fine of rupees thirty thousand by Additional Chief Metropolitan Magistrate, Sewri Court in L.A.C. No. 04/2006, registered by Anti Terrorism Squad, Mumbai, Maharashtra under sections 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Supplementary Charge Sheets were filed against some other SIMI activists in this case and the trial is pending for the same;
- (26) One SIMI activist was convicted and sentenced to death by Special Sessions Court, Shivaji Nagar, Pune in Case Crime No. 06/2010, registered by Anti Terrorism Squad, Mumbai, Maharashtra under sections 120B, 153A, 302, 307, 326, 325, 324, 427, 467, 468, 471, 474, 109 and 34 of the Indian Penal Code read with sections 3, 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 read with sections 10, 13, 16, 18, 20 and 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (27) Two SIMI activists were convicted under section 489C of the Indian Penal Code and sentenced to rigorous imprisonment for six years and to pay fine of rupees ten thousand each and in default of payment of fine to suffer simple imprisonment of six months by the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Mazgaon, Mumbai in Case Crime No. 31/2011, registered by Anti Terrorism Squad, Mumbai, Maharashtra under sections 120B, 489B, 489C and 489E of the Indian Penal Code read with sections 10, 13, 17 and 18B of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (28) Ten SIMI activists were convicted and sentenced to rigorous imprisonments and/or life imprisonments and/or fine under various sections of law by the Court of Special Judge designated under the Prevention of Terrorism Act, 2002 (2 of 2002) at Greater Mumbai, Maharashtra under the Prevention of Terrorism Act Special Case No. 02/2003, registered as C.R. No. 21/2003 and C.R. No. 59/2003 by DCB CID Unit-6, Mumbai, Maharashtra for offences under the Prevention of Terrorism Act, 2002, the Indian Penal Code, the Explosive Substances Act, 1908, the Explosives Act, 1884, the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 and the Railways Act, 1989 for having been committed the act of three bomb explosion at places namely Mc Donald Hotel, Mumbai Central Railway Station, Monghibhai Market Vile Parle and in second class general compartment of Kalyan local train by way of conspiracy, the act preparatory to a terrorist act with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India and to strike terror in the public at large;
- (29) Case Crime No. 38 dated 17.02.2016 at Plant Site Police Station, Rourkela, Odisha under sections 147, 148, 120B, 121, 121A, 122, 307, 467, 471 and 149 of the Indian Penal Code read with sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959 and sections 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 has been registered against four SIMI hard core terrorists along with mother of one of the terrorist namely (1) Sk. Mehboob *alias* Guddu *alias* Aftab; (2) Md. Amzad Khan *alias* Pappu *alias* Daud *alias* Umar *alias* Gopal Singh; (3) Zakir Husain *alias* Sadiq *alias* Vicky Don *alias* vinay Kumar *alias* Anand Joshi *alias* Imtiaz; (4) Md. Saliq *alias* Sallu *alias* Yunus *alias* Sanjay; and (5) Najma Bee (Mother of Sk. Mehboob) for their arrest on 16/17.02.2016 night from Qureshi Mohalla, Nala Road, Rourkela, District-Sundargarh. During investigation, it is learnt that, the above four terrorists were active members of SIMI which is a banned organisation and were killed in Police encounter in Bhopal on 30/31.10.2016, following Jail break in Bhopal (Madhya Pradesh);
- (30) Case Crime No. 02/2014 has been registered by S.B.C.I.D. Metro Police, Chennai, Tamil Nadu under sections 326, 307 and 302 of the Indian Penal Code read with sections 3, 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 read with section 151 of the Railways Act, 1989 (Formerly Chennai Railway Police Cr. No. 273/2014) in the matter of two IED blasts, occurred in Train No. 12509 (Bangalore-Guwahati Express) at Platform No. 9 in Chennai Central Railway Station. During the investigation, the involvement of three ex-SIMI activists have been established. All these ex-SIMI cadres have been killed in two separate encounters;
- (31) Case Crime No. 432/2014 has been registered by D2 Selvapuram Police Station, Coimbatore, Tamil Nadu under sections 120B, 153A and 505(1) of the Indian Penal Code against ten accused

persons including some ex-SIMI cadres for hatching a conspiracy with an intention to eliminate Hindu Organisation leaders in Coimbatore in order to create communal disharmony;

- (32) Case Crime No. 30/2014 has been registered by Mehboobnagar-II Town Police Station, Mahabubnagar, Telangana under section 379 of the Indian Penal Code against six SIMI activists for theft of motorcycle at Mahaboobnagar, Telangana. Out of these six accused persons, three died in Police Encounter at Bhopal on 30.10.2016;
- (33) Case Crime No. 10/2014 has been registered by Devarakonda Police Station, Nalgonda, Telangana under section 379 of the Indian Penal Code against six SIMI activists for theft of motorcycle at Devarakonda, Nalgonda, Telangana. Out of these six accused persons, three died in Police Encounter at Bhopal on 30.10.2016;
- (34) Case Crime No. 16/2014 has been registered by Choppadandi Police Station, Karimnagar, Telangana under sections 395 of the Indian Penal Code, clause (a) and clause (b) of sub-section (1) of section 25 and section 27 of the Arms Act, 1959, sections 10, 13, 17, 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against six SIMI activists for robbery of rupees forty six lakhs from State Bank of India, Choppadandi, Karimnagar, Telangana. Out of these six accused persons, three died in Police Encounter at Bhopal on 30.10.2016;
- (35) Case Crime No. 120/2015 has been registered by Suryapet TN Police Station, Nalgonda, Telangana under sections 302, 307, 394 and 34 of the Indian Penal Code, sub-section (1) of section 25 of the Arms Act, 1959 against two SIMI activists for opening fire on police team, killing two police personnel and injuring Circle Inspector and Home Guard, while the police team conducted frisking on suspicious passengers in Suryapet Hi-tech bus stop at Nalgonda district on 01/02.04.2015. The accused grabbed a 9 MM Carbine weapon from police team and fled away. These accused died in Police encounter on 04.04.2015 at Janakipuram, Nalgonda, Telangana;
- (36) Case Crime No. 34/2015 has been registered by Mothkur Police Station, Nalgonda, Telangana under sections 302, 307 and 34 of the Indian Penal Code and section 27 of the Arms Act, 1959. The facts of the case are that, in the morning hours on 04.04.2015, Police team was moving to Janakipuram, Nalgonda district. In the meantime, two assailants came from opposite direction and an exchange of fire took place between the police and the assailants, resulting in death of assailants and a Police Constable, besides injuring an Inspector of Police of Ramannapet Police Station and a Sub-Inspector of Police of Atmakur Police Station. Police seized two country made short weapons and one 9 MM carbine from the scene of offence which was stolen from the slain policemen at Suryapet, Nalgonda. The dead assailants were identified as activists of SIMI cadre;
- (37) Case Crime No. 22/2015 has been registered by Arvapalli Police Station, Telangana under section 384 of the Indian Penal Code. The facts of the case are that, while the complainant was proceeding on his bike and reached Arvapalli village centre, where the two accused persons stopped him and kept gun on his abdomen and head and forcibly took his bike and fled away with high speed towards Thirumalagiri. The two assailants died later and were identified as activists of SIMI cadre;
- (38) Case Crime No. 23/2015 has been registered by Arvapalli Police Station, Telangana under section 307 of the Indian Penal Code and clause (A) of sub-section (1) of section 25 of the Arms Act, 1959. The facts of the case are that, the complainant stated that on credible information he along with his staff crossed bridge of Sri Ram Sagar Project canal at Seetharampuram where they found two persons escaping. On being asked to stop, they started firing with weapons and in return the complainant also fired against them with his service pistol but the accused escaped. The two assailants died later and were identified as activists of SIMI cadre;
- (39) Case Crime No. 338/2014 has been registered by Gopalpuram Police Station, Hyderabad, Telangana under sections 121, 121A, 153A and 120B of the Indian Penal Code and section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The facts of the case are that, the Hyderabad Police arrested two accused (both resident of Maharashtra State) at Secunderabad Railway Station. They were the members of the newly created 'Electronic War Fare Technology Group/SIMI' to help the Indian branch of Al-Qaeda. It is learnt that they came to Hyderabad to go to Afghanistan to participate in Al-Qaeda training programme;

- (40) Three SIMI members were convicted under sections 148, 324 and 332 of the Indian Penal Code in Case Crime No. 882/2004, registered by Saifabad Police Station, Hyderabad, Telangana under sections 147, 148, 307, 332, 224, 427 and 149 of the Indian Penal Code. The facts of the case are that, on 31.10.2004, Moulana Md. Naseeruddin attended Crime Investigation Department Control Room in the Director General of Police Office, Hyderabad and while leaving office Dr. Narendra Kumar Amin, Assistant Commissioner of Police, Crime Investigation Department, Ahmedabad executed non-bailable arrest warrant on him. At that time, accused led by Mahabub Ali, President, Darsgah-e-Jihad-o-Shahadat (DJS) attacked on Police, beat them indiscriminately and took away Naseeruddin. The Assistant Commissioner of Police, Ahmedabad opened fire and took over possession of the accused. The SIMI accused in this case were responsible for supplying of CDs to SIMI leaders who were also connected in Case Crime No. 462/1998 of Mahakal Police Station, Ujjain, Madhya Pradesh for the same;
- (41) Case Crime No. 964/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 121A, 122, 216 and 120B of the Indian Penal Code against eleven SIMI activists for Improvised Explosive Device Blast that took place in a rented room in Bijnor (Uttar Pradesh). Out of the eleven accused persons, two were killed in an encounter with Telangana Police on 04.04.2015 and four were killed in an encounter with Madhya Pradesh Police on 31.10.2016;
- (42) Case Crime No. 965/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 13, 18, 23, 21, 38, 39 and 40 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against eleven accused for Improvised Explosive Device Blast that took place in a rented room in Bijnor (Uttar Pradesh). The case was transferred to National Investigation Agency for further investigation. It was found in the case that, a SIMI module was involved in the incident. Out of the eleven accused persons, two were killed in an encounter with Telangana Police on 04.04.2015 and four were killed in an encounter with Madhya Pradesh Police on 31.10.2016;
- (43) Case Crime No. 966/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under section 25 of the Arms Act, 1959 against eleven SIMI activists for Improvised Explosive Device Blast that took place in a rented room in Bijnor (Uttar Pradesh). Out of the eleven accused persons, two were killed in an encounter with Telangana Police on 04.04.2015 and four were killed in an encounter with Madhya Pradesh Police on 31.10.2016;
- (44) Case Crime No. 967/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under section 4/25 of the Arms Act, 1959 against eleven SIMI activists for Improvised Explosive Device Blast that took place in a rented room in Bijnor (Uttar Pradesh). Out of the eleven accused persons, two were killed in an encounter with Telangana Police on 04.04.2015 and four were killed in an encounter with Madhya Pradesh Police on 31.10.2016;
- (45) Case Crime No. 968/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 against eleven SIMI activists for Improvised Explosive Device Blast that took place in a rented room in Bijnor (Uttar Pradesh). Out of the eleven accused persons, two were killed in an encounter with Telangana Police on 04.04.2015 and four were killed in an encounter with Madhya Pradesh Police on 31.10.2016;
- (46) Case Crime No. 974/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 121A, 122 and 120B of the Indian Penal Code in the matter of Bijnor Blast case. Later on, this case was merged with Case Crime No. 964/2014;
- (47) Case Crime No. 975/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 in the matter of Bijnor Blast case. This case is pending in trial Court;
- (48) Case Crime No. 976/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 13, 18 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in the matter of Bijnor Blast case. This case is pending in trial Court;
- (49) Case Crime No. 977/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 121A, 122, 216 and 120B of the Indian Penal Code in the matter of Bijnor Blast case. Later on, this case was merged with Case Crime No. 964/2014;

- (50) Case Crime No. 978/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 in the matter of Bijnor Blast case. This case is pending in trial Court;
- (51) Case Crime No. 979/2014 has been registered by Kotwali Police Station, Bijnor, Uttar Pradesh under sections 13, 18 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in the matter of Bijnor Blast case. This case is pending in trial Court;
- (52) Case Crime No. 50/2014 has been registered by Special Cell Police Station, Delhi under section 120B of the Indian Penal Code and sections 18 and 20 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 after the accidental blast in Bijnor (Uttar Pradesh) on 12.09.2014 in the hideout of reported absconding members of SIMI;
- (53) Case Crime No. RC-01/2015/NIA-DLI has been registered by National Investigation Agency under sections 121A and 122 of the Indian Penal Code, section 25 of the Arms Act, 1959, sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 and sections 13, 18 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against eleven accused in the matter of Improvised Explosive Device Blast at Bijnor, Uttar Pradesh;
- (54) Case Crime No. RC-10/2015/NIA-DLI has been registered by National Investigation Agency under sections 120B, 121A and 122 of the Indian Penal Code, sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 and sections 13, 18 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against one accused in the matter of Improvised Explosive Device Blast at Bijnor, Uttar Pradesh;
- (55) Case Crime No. RC-11/2015/NIA-DLI has been registered by National Investigation Agency under sections 120B, 121A and 122 of the Indian Penal Code, sections 4 and 5 of the Explosive Substances Act, 1908 and sections 13, 18 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against two accused in the matter of Improvised Explosive Device Blast at Bijnor, Uttar Pradesh;
- (56) Two SIMI activists were convicted under sections 120B and 124A of the Indian Penal Code besides section 10 and clause (b) of sub-section (i) of section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; two SIMI activists were sentenced to seven years rigorous imprisonment and fine of rupees sixty thousand and two SIMI activists were sentenced to five years rigorous imprisonment and fine of rupees fifty five thousand by the Special National Investigation Agency Court, Ernakulam, Kerala in Case Crime No. RC-03/2010/NIA-DLI, registered by National Investigation Agency under sections 120B and 124A of the Indian Penal Code and section 10 and clause (b) of sub-section (i) of section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;
- (57) Eighteen SIMI activists convicted and sentenced to seven years rigorous imprisonment with fine for each accused by the Special National Investigation Agency Court, Ernakulam, Kerala in Case Crime No. RC-04/2010/NIA-DLI, registered by National Investigation Agency under sections 120B, 122, 124A and 153A of the Indian Penal Code, sections 3, 5, 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 besides sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959;
- (58) Two SIMI activists were convicted and sentenced to three years imprisonment under section 153A read with section 120B of the Indian Penal Code and life imprisonment and a fine of rupees forty thousand under sections 16, 18, 20 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; two SIMI activists were also convicted and sentenced to three years and ten years imprisonment with a fine of rupees ten thousand under section 153A read with section 120B of the Indian Penal Code and section 120B read with section 307 of the Indian Penal Code respectively, along with life imprisonment and a fine of rupees forty thousand under sections 16, 18, 20 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; one SIMI activist was convicted and sentenced to three years, ten years and fourteen years of imprisonment and fine of rupees twenty thousand under section 153A read with section 120B of the Indian Penal Code, sections 120B and 307 of the Indian Penal Code and section 458 of the Indian Penal Code respectively, along with life imprisonment and fine of rupees forty thousand under sections 16, 18, 20 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Special National Investigation Agency Court, Patna, Bihar in Case Crime No. RC-07/2013/NIA-DLI, RC-08/2013/NIA-DLI and RC-09/2013/NIA-DLI, registered by National Investigation Agency under sections 153A, 324, 307, 427 and 452 of the Indian Penal Code, section 17 of the Indian Criminal Law Amendment Act, 1908 (14 of 1908), sections 3 and 4 of the

Explosive Substances Act, 1908 and sections 16, 18, 20 and 23 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. One Juvenile accused was also convicted for three years in the case;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to –

- (i) continue its subversive activities and re-organise its activists who are still absconding;
- (ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;
- (iii) propagate anti-national sentiments;
- (iv) escalate secessionism by supporting militancy; and
- (v) undertake activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) as an “unlawful association” and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/3/2018-NI-III]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.